

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 22]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 19, 2005/पौष 29, 1926

No. 22]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 19, 2005/PAUSA 29, 1926

कम्पनी कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2005

सा.का.नि. 29(अ).—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 621 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अधीन दण्डनीय अपराधों की बाबत उस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए कम्पनी कार्य मंत्रालय के गम्भीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय के निम्नलिखित अधिकारी को प्राधिकृत करती हैं।

''श्री प्रीत पाल सिंह, वरिष्ठ सहायक निदेशक''

[फा. सं. 3/5/2004/सी.एल. V]

जितेश खोसला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th January, 2005

G.S.R. 29(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 621 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby authorise the following officer of the Serious Fraud Investigation Office (SFIO), Ministry of Company Affairs for the purposes of that Sub-section in respect of offences punishable under the provisions of the Companies Act, 1956.

"Shri Prit Paul Singh, Senior Assistant Director."

[F. No. 3/5/2004/CL. V]

JITESH KHOSLA, Jt., Secv.

201 GI-2005